राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2795/2025

प्रदीप सैनी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये आयुक्त सह सचिव, स्थानीय स्वशासन विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, स्थानीय स्वशासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, नवलगढ़, झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.05.2025
आदेश की दिनांक : 03.06.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री बनवारी लाल शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी दिनांक 15.01.2025 के आदेश को चुनौती दे रहा है, जिसके तहत उसे आरएसआर नियम 1951 के नियम 25–ए का उल्लंघन करते हुए बिना किसी औचित्य के पोस्टिंग आदेश की प्रतीक्षा में रखा गया है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा 3 महीने से अधिक की अवधि के बाद एपीओ के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में जारी दिनांक 24.04.2025 के कार्यमुक्ति आदेश को भी चुनौती दे रहा है, जिसकी अपीलार्थी को एपीओ बनाने में कोई प्रशासनिक आवश्यकता नहीं थी। अपीलार्थी के दिनांक 08.05.2025 के स्थानांतरण के बाद के आदेश को भी चुनौती दे रहा है, जिसके तहत उसे नगर पालिका नोखा जिला बीकानेर में 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थानांतरित किया गया है। (अनुलग्नक–1,2 व 3) अपीलार्थी को प्रारंभ में 08.02.2017 के आदेश द्वारा सीनियर ड्राफ्ट्समैन के पद पर नियुक्त किया गया था और उसे नगर पालिका नोखा जिला बीकानेर में तैनात किया गया था, जिसके अनुसार उसने दिनांक 14.2.2017 को अपना कार्यभार ग्रहण किया। (अनुलग्नक–4 व 5) उसके बाद अपीलार्थी को दिनांक 05.06.2018 के आदेश द्वारा नगर पालिका नोखा से नगर पालिका नवलगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके अनुसरण में उसे दिनांक 11.6.2018 के आदेश द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। इसके बाद अपीलार्थी को फिर से नगर

पालिका नवलगढ़ से नगर पालिका राजगढ़ (चूरू) में दिनांक 15.12.2021 के आदेश के तहत स्थानांतरित कर दिया गया और उसके बाद 2 दिनों के अंतराल में अपीलार्थी को नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ में दिनांक 17.12.2021 के आदेश के तहत स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके अनुसार उन्होंने 20.12.2021 को अपने कर्तव्यों में शामिल हो गए। (अनुलग्नक–6,7 व 8) तत्पश्चात दिनांक 19.02.2024 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को पुनः नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ से नगर पालिका नवलगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके अनुसार उसे 20.2.2024 को कार्यमुक्त कर दिया गया तथा उसने 21.2.2024 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। (अनुलग्नक–9,10 व 11) अपीलार्थी को बिना कोई कारण बताए एक वर्ष से भी कम समय के भीतर दिनांक 15.1.2025 के आदेश के तहत एपीओ कर दिया गया। चूंकि आदेश गैर–भाषणात्मक है और इसमें कोई तात्कालिकता नहीं थी और इसलिए, उपरोक्त आदेश द्वारा एपीओ किए जाने के बावजूद, अपीलार्थी को लगभग 3 महीने की अवधि के लिए कार्यमुक्त नहीं किया गया और उसके बाद दिनांक 24.04.2025 के आदेश के तहत उसे कार्यमुक्त कर दिया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि चूंकि अपीलार्थी नक्शा पायलट परियोजना में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था और उसका सहयोग आवश्यक था और इसलिए अपीलार्थी को तुरंत कार्यमुक्त न करने के लिए मौखिक आदेश प्राप्त हो चुके हैं। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में मुख्य पीठ ने एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 6261/2017 हेमेंद्र कुमार त्रिवेदी बनाम राज्य में दिनांक 13.3.2018 को एक आदेश/निर्णय पारित किया, जिसमें एपीओ आदेश को रद्द कर दिया गया। (अनुलग्नक–12) अपीलार्थी का बेटा जिसकी उम्र लगभग डेढ़ साल है, सेरेब्रल पाल्सी नामक बीमारी से पीड़ित है, जो मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है और जिसके लिए रोगी को लगातार ध्यान देने की आवश्यकता होती है और जिसका निरंतर उपचार चल रहा है। (अनुलग्नक–13) ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए सरकार द्वारा राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में तत्काल पोस्टिंग की गई है और जो भी पोस्ट किए गए हैं उन्हें तुरंत शामिल होने के लिए कहा गया था और इसलिए अपीलार्थी ने दिनांक 09.05.2025 को नोखा में ही कार्यग्रहण कर लिया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जारी आदेश दिनांक 15.01.2025, प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा जारी आदेश दिनांक 24.4.2024 और दिनांक 8.5.2025 के आदेश को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को नगरपालिका नवलगढ़ में ही निरंतर कार्यरत रखे जाने के निर्देश दिए जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि

वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आदेश से आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य